तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12/11/21	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 शिविर ग्राम पंचायत मुख्यालय मंगले की बेरी पेश हुई/ प्रारम्भिक पत्रावली तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट प्राप्त/ प्रार्थी सं. 01 ओंकारराम ने प्रार्थना पत्र पेश की गई/ अप्रार्थी सं. 01 ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण हीरोदेवी w/o गंगाराम व हीरोदेवी w/o जोधाराम का ख.नं. 77 खेत का संयुक्त खातेदारी का है यह खसरा नं. 77 चोहटन से गुड़ामालानी जाने वाली सड़क से जुड़ा हुआ है। ख.नं. 76 व 77 दोनों की सीमा लगती है। राजनैतिक द्वेष भावना से प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र रास्ते हेतु पेश किया है अतः उक्त खातेदार को परेशान करने के उद्देश्य से पेश किया है अतः खारिज किया जावे। हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट क्रमांक 03 दि० 12/11/21 का अवलोकन व अध्ययन किया। तथा मौके की गहराई से अवलोकन व प्रार्थीगण हीरोदेवी से जानकारी ली गयी। उक्त इस्तगासा प्रकरण में प्रार्थीगण हीरोदेवी w/o गंगाराम व हीरोदेवी w/o जोधाराम द्वारा अपनी खातेदारी खेत ख.नं. 76 मौजा मंगले की बेरी से कटान काश्तकार ख.नं. 84/3 मौजा आने जाने के लिए अप्रार्थीगण के खेत ख.नं. 84/3 में से अन्तर्गत धारा 251 'A' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (ग्रा.प. मंगले की बेरी) में रास्ता चाहा गया है। जबकि RTA का प्रार्थना पत्र पेश कर रास्ता चाहा गया है। जोधाराम व प्रार्थी सं. 1 हीरोदेवी w/o जोधाराम के पति खेत ख.नं. 77 के हिस्सेदार, प्रार्थी सं. 2 हीरोदेवी w/o गंगाराम ख.नं. 77 का एक सहखातेदार है, प्रार्थीगण का ख.सं. 76 व ख.नं. 77 पर काबिज है ही मेढ़ लगता है अर्थात दोनों ही खसरे सीमा पर संयुक्त खातेदारी का है, चूंकि ख.नं. 77 जो प्रार्थीगण का चोहटन से गुड़ामालानी जाने वाली सड़क से जुड़ा हुआ है, अतः प्रार्थीगण को ख.नं. 83/3 में से नये रास्ते की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'A' के तहत प्रार्थी को रास्ते की नितान्त आवश्यकता होने तथा उनकी खातेदारी के आने जाने हेतु नजदीकी अन्य विकल्प नहीं होने की स्थिति में ही रास्ता प्रदान किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकरण में प्रार्थीगण का संयुक्त खातेदारी खेत ख.नं. 77 सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है तथा खेत ख.नं. 76 जिसके लिए रास्ता चाहा गया है ख.नं. 77 से जुड़ा हुआ है जिससे प्रार्थीगण को नया रास्ता दिया जाना उक्त धारा ... प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र ... खारिज किया जाता है। पत्रावली ... दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12/11/21 को प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर ग्राम पंचायत मुख्यालय मंगले की बेरी में मुकाम खुले न्यायालय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally Signed by Pramod Kumar
Date: 2022.01.14 10:30:15 IST
Reason: SelfAttested